न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 22/2020 (2020/00168) दायर दिनांक 07.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. गोपाल लाल पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मधुबाला पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी पोटलां तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।
3. मोडीबाई पत्नी मोतीलाल ब्राह्मण निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. महेशकुमार पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी पोटलां तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. भगवती लाल पुत्र प्यारचन्द्र सियाल (महाजन) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री राजमल तिवारी
अधिवक्ता विपक्षी सं0 02 : श्री अरविंद चौधरी
: पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–22.02.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर [illegible] किया है कि ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा [illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी [illegible] हे0 कुल किता 1 [illegible] रकबा 0.23 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 333 पर स्थित [illegible] जिसके लिये वर्तमान [illegible] जमाबंदी व नक्शाट्रेस पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:17 IST
Reason: SelfAttested

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह है कि प्रार्थीगण के उक्तानुसार वर्णित कृषि आराजियात में आवागमन करने के लिए विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 3659/2 रकबा 0.055 हे0 की पूर्वी मड़ व विपक्षी संख्या दो की आराजी संख्या 3669 रकबा 0.28 हे0 की पश्चिमी मेड से आवागमन करता आ रहा है तथा मौके पर 15 फिट चौड़ा रास्ता अवस्थित है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजी में इसी रास्ते से विगत 50 वर्षो से प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से आवागममन करते आ रहे है।

यह कि विपक्षी संख्या एक के नाम दर्ज आराजी संख्या 3659/2 रकबा 0.055 हे9 के मध्य की मेड पर से सदैव से रास्ता छुटा हुआ है लेकिन राजस्व अभिलेखों मे रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण हमेशा व्यवधान पैदा करते है व रास्ते को बंद करने की धमकियां देते है जबकि इसी रास्ते के यंहा से प्रार्थीगण की आराजियात् में सिंचाई करने हेतु धोरा भी बना हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3668 रकबा 0.23 हे0 में आवागमन करने का सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 3659/2 व आराजी संख्या 3669 के मध्य की मेड़ों में ही है जिससे प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

यह कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3668 मं आवागमन का रास्ता आराजी संख्या 3659/2 व आराजी संख्या 3669 के मध्य की मेडो के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, व सबसे नजदीकी व सुगम रास्ता है जिसका नजरी नक्शा पेश है।

प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षीगण को देने को तैयार है।

अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पोटलां की आराजी संख्या 3659/2 की पूर्वी मेड व आराजी संख्या 3669 की पश्चिमी मेड यानि आराजी संख्या 3659/2 व 3669 के मध्य की मेडो से 15 फिट फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावें तथा उक्त रास्ते को ... की मद में दर्ज कराया जावें इस हेतु नियमानुसार राशि जमा ... में नियम रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 ... जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:17 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण विधिवत इस न्यायालय में दिनांक 07.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थि अतः इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर जवाब का अवलोकन फरमाने का निवेदन कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार उपस्थित। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाबदेही बंद की जाती है।

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/21/34 दिनांक 07.01.2021 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसार :–

–यह कि ग्राम पोटलां की आराजी संख्या 3668 रकबा 0.23 हे0 खातेदार गोपाललाल, मधुबाला पिता मोतीलाल , मोडीबाई पत्नि मोतीलाल ब्राह्मण निवासी पोटलां के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

– यह कि ग्राम पोटलां के आराजी सं0 3659/2 एवं 3669 में वर्तमान में 5–5 फीट कुल 10 फीट रास्ता छोड़ा गया है।

– यह कि वर्तमान में उक्त छोड़े गये रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता बंद कर रखा है।

–यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

–यह कि वर्तमान में अवागमन बंद होकर खेत पड़त पड़ा हुआ हैं

– यह कि उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 3659/2 रकबा 0.0550 हे0 में से 0.0040 हे0 भूमि तथा आराजी नं0 3669 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0040 हे0 कुल रकबा 0.0080 हे0 अर्थात 80 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होती है, उक्त भूमि एन0एच0 758 से 400 मीटर दूरी पर स्थित है, एन0एच0 पर 200 से 500 मीटर तक की भूमि की डी0एल0सी0 दर 2859041/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.0080 हे0 अथात 80 वर्गमीटर भूमि की मालियत 22873/–रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 45746/– रूपये होती है।

– यह कि प्रस्तावति रास्ते को राजस्व नक्शे में ल[illegible] से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:17 IST
Reason: SelfAttested

– यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई [illegible] रास्ता नहीं है। तथा उक्त दोनों आराजी नं0 में से छोड़े गये 5–5 फीट कुल 10 फी[illegible] रास्ते के दोनो तरफ पक्की दीवार बनी हुई है जिससे चौड़ाई नहीं बढ़ सकती है।

3.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

वर वक्त सुनवाई उभयपक्ष अधिवक्ता को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3668 रकबा 0.23 हे0 में आवागमन करने का सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 3659 / 2 व आराजी संख्या 3669 के मध्य की मेड़ों में 10 फीट चौड़ाई में पक्की दीवारे बनी हुई है चाहे गये रास्ते अनुसार प्रस्तावति रास्ते में उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 3659 / 2 रकबा 0.0550 हे0 में से 0.0040 हे0 भूमि तथा आराजी नं0 3669 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0040 हे0 कुल रकबा 0.0080 हे0 अर्थात 80 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होती है, उक्त भूमि एन0एच0 758 से 400 मीटर दूरी पर स्थित है, एन0एच0 पर 200 से 500 मीटर तक की भूमि की डी0एल0सी0 दर 2859041 / – रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.0080 हे0 अथात 80 वर्गमीटर भूमि की मालियत 22873 / –रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 45746 / – रूपये होती है।मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भुमि आराजी नं0 3668 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिए विपक्षीगण की 3659 / 2 रकबा 0.0550 हे0 में से 0.0040 हे0 भूमि तथा आराजी नं0 3669 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0040 हे0 कुल रकबा 0.0080 हे0 अर्थात 80 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होती है, अर्थात रास्ते हेतु कुल 0.0080 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः [illegible] प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट [illegible] जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:17 IST
Reason: SelfAttested

4.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :—22 / 2020 (220 / 00168)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण की ग्राम पोटलां प0ह0 पोटलां की आराजी नं0 3659 / 2 रकबा 0.0550 हे0 में से 0.0040 हे0 भूमि तथा आराजी नं0 3669 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0040 हे0 कुल रकबा 0.0080 हे0 अर्थात 80 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 2859041 / — है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 22873 / —रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 45746 / — रूपये प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 से 2 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी नं0 3659 / 2 रकबा 0.0550 हे0 में से 0.0040 हे0 भूमि तथा आराजी नं0 3669 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0040 हे0 कुल रकबा 0.0080 हे0 अर्थात 80 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से राशि 45746 / — रूपये प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 से 2 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम पोटलां प0ह0 पोटलां की आराजी संख्या 3668 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:17 IST
Reason: SelfAttested